न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 34/2016

तारीख रजू :–21.10.2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

..........आवेदक

बनाम

1. रामस्वरूप शर्मा पुत्र हीरा लाल शर्मा (मौके पर विक्रेता) मैसर्स सवाई माधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड रणथम्भौर रोड सवाई माधोपुर निवासी पटेल नगर पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर
2. साहिब राम कूकना पुत्र तेजा राम कूकना (प्रबंध संचालक) मैसर्स सवाई माधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड रणथम्भौर रोड सवाई माधोपुर
3. मैसर्स सवाई माधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड रणथम्भौर रोड सवाई माधोपुर

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः–

दिनांक 22/8/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 09.10.2015 को समय 12.30 पी.एम पर मैसर्स सवाई माधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड रणथम्भौर रोड सवाई माधोपुर पर पहुँचा। वहाँ पर रामस्वरूप शर्मा पुत्र हीरालाल शर्मा (मौके पर विक्रेता) निवासी पटेल नगर पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर उपस्थित मिला। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया व विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात उपस्थित रास्वरूप शर्मा से फर्म के भार साधक/नोमिनी/प्रबंधक को मौके पर बुलवाने हेतु कहा परन्तु रामस्वरूप शर्मा द्वारा किसी भी व्यक्ति या कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गयें। अतः शक होने पर विक्रेता की उपस्थिति में डेयरी का निरीक्षण किया गया जहाँ खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध 03 डिप फ्रिजर में लगभग 300 लीटर प्रोसेसिंग कर अन्यत्र डेयरी में प्रोसेसिंग हेतु भिजवाया जाना बताया गया। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध के मानक स्तर का नहीं होने [illegible] पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उप[illegible] [illegible]र कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गई। यह है कि आवेदक खाद्य [illegible] अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मिश्रित [illegible] डीप फ्रिजर से हिला मिलाकर 02 लीटर वास्त [illegible] 70/– रूपये नगद [illegible] रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर त[illegible] गवाहों के हस्ताक्षर लिये गये तथा तस्दीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:07 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध को 04 शिशियों में भर कर तथा 40–40 बूंन्दे फॉर्मेलीन की डालकर अच्छे से बन्द किया गया तथा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया गया । चारों नमूना भागों को अलग–ं अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच – 710 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पुर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर करा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौक पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचा कर फॉर्म न0 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म न0 6 की अलग से सील्ड लिफाफें में पत्रवाहक गजानन्द लोढा बार्ड बॉय कार्या मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गयी। दो सील बन्द नमूना भाग माय फार्म न0 6 की प्रति के आउटर कवर मं सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ(मुख्य चिकित्साा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)सवाईमाधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2015/3196 दिनांक 02.11.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एलएस/2658/एक्ट/2015/1606 दिनांक 23.10.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। यह है कि प्रबंधक संचालक मैसर्स सववाईमाधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड रणथम्भौर रोड सवाई माधेपुर का पत्र मय खा्द्य अनुज्ञा पत्र एवं प्रबंधक के पेन कार्ड की छायाप्रति प्राप्त हुई । यह है किं अभियुक्त ने अवमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दुध का विकय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकर कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आंवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अभियुक्तगण ने पूर्व में नोटिस का जवाब पेश किया गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए [illegible] अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा [illegible]) प्रकृति के खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ मिश्रित दुध का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2)(।।) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:07 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियुक्तगण ने अपने पूर्व में प्रस्तुत जवाब में तर्क दिया है कि उनके द्वारा दूध का कोई निर्माण नहीं किया जाता है तथा उक्त दूध मिश्रित नहीं था । संस्था द्वारा दूध दूग्घ उत्पादक सहकारी समिति से प्राप्त होता है जिसका प्रोसस कर अन्य यूनिट को भिजवाया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार को कोई मिलावट नहीं की जाती हैं । अन्त में अभियुक्तण ने अपने जवाब में उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एलएस/2658/एक्ट/2015/1606 दिनांक 23.10.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिश्रित दुध अवमानक पाया गया जिसका विक्रय कर खाद्यकारोबार कर्ता एवं विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2(ii) का उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2006 नियम व विनियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्राविधित है।

अतः अभियुक्त को अवमानक व मिथ्याछाप (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मिश्रित दुध का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम एवं विनियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 पर 50,000/-रू0 (अक्षरे पचास हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक-एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/2/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:07 IST
Reason: SelfAttested